



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विक्रय विलेख

यह विलेख लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम ११ सन् १९७३ पुनर्विधायन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३० सन् १९७४ की धारा-४ के अधीन गठित एक निकाय है, के प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, विक्रेता उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, समनुदेशितों से लिया जायेगा) प्रथम पक्ष

के द्वारा

श्री / श्रीमती / कुमारी उम्र लगभग वर्ष
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री एवं श्री / श्रीमती
उम्र लगभग वर्ष पुत्र / पत्नी श्री निवासी
जिसे कि इस विलेख में क्रेता

कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, क्रेता स्वयं उसके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों, समनुदेशितों से लिया जायेगा द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

चूँकि जनहित में भूमि अभ्यर्पित करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक के फलस्वरूप नकद / स्ववित्त पोषित / किराया

क्रय-पद्धति के अन्तर्गत दिनांक को रूपया

प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप वरुण विहार योजना कैलाश खंड / योजना में भूखण्ड / भवन

संख्या क्षेत्रफल वर्गमीटर सलग्न लीज प्लान के अनुसार ६० वर्ष की

अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में रूपया प्रतिवर्ष लीजरेन्ट पर आवंटित किया गया

था चूँकि शासनादेश संख्या १६३६/६-आ-१-५-८० मिस / ८६ आवास अनुभाग-१ दिनांक

१०-५-१९६५ द्वारा भूमि के मूल्य की १२ प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में लेकर

उसे फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है,

(2)

तदनुसार क्रेता द्वारा उक्त धनराशि रूपया

(शब्दों में रूपया)

तथा प्रीमियम की

धनराशि रूपया

(शब्दों में रूपया)

केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गयी है जिसको पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है-

अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है-

9- यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्या रूपया प्राप्त

करने के पश्चात् विक्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन संख्या

क्षेत्रफल वर्गमीटर स्थिति

योजना।

जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष

में विक्रय करत हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्णस्वामित्वाधिकार

इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये हैं कि वह नियमानुसार भूमि

का उपयोग एवं उपभोग करें

10- यह कि विक्रीत भूखण्ड/भवन का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया

गया है।

11- यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं

एवं भूखण्ड/भवन आवंटित करने के समय चूँकि विक्रेता विशेष भूमि अध्याप्ति

अधिकारी द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड/भवन

का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार फ्रीहोल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है परन्तु यदि

भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर, तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में

व्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसविदा

करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी

क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड/भवन क्षेत्रफल भूविन्यास योजना के सन्पूर्ण क्षेत्रफल के

अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांग पत्र की सूचना प्राप्ति के

तीन महीने के अंदर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जयेगी इसमें असफल रहने पर यह

राशि भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी

(8)

उपरिसंदर्भित विक्रीत भूखण्ड/भवन का विवरण

भू-विन्यास योजना भूखण्ड/भवन संख्या प्रकार
कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्थित
योजना, लखनऊ जिसकी पूर्वी भुजा की माप मीटर, पश्चिमी भुजा
मीटर, उत्तरी भुजा मीटर, दक्षिणी भुजा मीटर है।

प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार से है:-

पूरब पश्चिम
उत्तर दक्षिण
साक्षीगणः

1- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

2- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

3- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

4- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

5- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

6- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

7- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक

8- हस्ताक्षर
नाम
उम्र
पिता का नाम
व्यवसाय
निवास
दिनांक